28.8.18 पत्रावली पेश हुई, वादिगण अधिवक्ता उपस्थित प्रति वादिगण अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। वादिगण अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नही मिली तो अपूरणीय क्षति होगी। मैंने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एव प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A के तहत मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ सलंग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा